

~~प्राप्ति~~

संख्या : 1405 / 1-10-2013-33(42) / 12

प्रेषक

परशुराम प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सोवा में

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : ३० अप्रैल, 2013

विषयः वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

महादय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--680 / मु0रा0ले0--दै0आ0--बजट--2012-13, दिनांक 14 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024 / 1-10-2010-14(63) / 2010, दिनांक 24 दिसम्बर, धनावंटन में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए० पत्र संख्या 32-7 / 2011-एन0डी०एम०-१, दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड-लाइन के आईटम नं०-३ के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothig medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन /निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश /निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या-2690 / 1-10-2012-12(34) / 03टी०सी०-१, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रति तहसील कम्बल आदि हेतु रु० 5,00,000/- व अलाव हेतु रु० 50,000/- की धनराशि स्वीकृत करते हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है।

3. उक्त रसीफूति के फलस्वरूप होने वाला व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अंतिगत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजाइनर रेसपान्स फॉड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजाइनर रेसपान्स फॉड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. रवीकृत की जा रही धनराशि उच्ची मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि रवीकृत की जा रही है और इसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कटापित न किया जाये।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि अवशेष बचती है तो उसे शासन को नियमानुसार वापस की जायेगी ।
6. शासनादेश संख्या—2690 / 1-10-2012-12(34) / 03टी0सी0-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शर्तें यथावत रहेगी ।

भवदीय,

( परशुराम प्रसाद )  
संयुक्त सचिव ।  
2f

संख्या—1405(1)1-10-2013-33(42) / 12 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—महालेखाकार—प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2—सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
- 3—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 4—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- ✓ 5—वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0 ।
- 6—मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
- 7—वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5 ।
- 8—समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10 / राजस्व अनुभाग—6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ ।
- 9—निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन ।
- 10—गार्ड फाइल ।

आहा से  
( विनोद कुमार शर्मा )  
अनु सचिव ।  
2f